न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—264/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/264)

कानसिंह पुत्र रूपसिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—

1. श्रीमती जतन कंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवास गेट्र कैलाश कॉलोनी, जयपुर।
2. श्रीमती विनोद कंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवास करणी विहार अजमेर रोड, हीरापुरा, जयपुर।
3. श्रीमती अंजू कंवर पुत्री कानसिंह पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवास छाया द्वीप महेश नगर, जयपुर।
4. कुलदीप सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवास गेट्र कैलाश कॉलोनी, जयपुर।
5. सुमन कंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवास बरोल तहसील मालपुरा जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. मान कंवर पुत्री रूपसिंह पत्नि गोपालसिंह
2. श्रीमती धापू कंवर पुत्री रूपसिंह पत्नि समुन्द्र सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र रूपसिंह
4. कानसिंह पुत्र जीवण सिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—
   - 4/1 सज्जन कंवर पत्नि कानसिंह
   - 4/2 भवानी सिंह पुत्र कानसिंह
   - 4/3 ललिता पुत्री कानसिंह
5. पीरूसिंह पुत्र वेदसिंह
6. मांगूसिंह पुत्र वेदसिंह
7. दशरथ सिंह पुत्र वेदसिंह
8. उम्मेदसिंह पुत्र जीवण सिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—
   - 8/1 अंतर कंवर पत्नि उम्मेद सिंह
   - 8/2 रणवीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
9. किशोरसिंह पुत्र जीवण सिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—
   - 9/1 विनोद कंवर पुत्री किशोर सिंह
   - 9/2 सुमन कंवर पुत्री किशोर सिंह
   - 9/3 श्रीमती किरण पत्नि किशोर सिंह
10. जयसिंह पुत्र जीवण सिंह
11. शैतान सिंह पुत्र भंवर सिंह
12. मांगू सिंह पुत्र भंवर सिंह
13. शोभाग कंवर पुत्री भंवर सिंह
14. उच्छव कंवर पुत्री भंवर सिंह
15. समझू कंवर पुत्री भंवर सिंह
16. राजूसिंह पुत्र सवाई सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 1320/2017.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री पुष्पेंद्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 16 अनुपरिथत।

निर्णय

दिनांकः–05.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 1320/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष एक वाद वास्ते खातेदारी उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया। जिस बाबत उक्त राजस्व वाद को अधीनस्थ न्याालय द्वारा दिनांक 27.9.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर समस्त प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिये जाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2017 नियत की गई। दिनांक 22.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 4, 5,6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9 से 15 के बावजूद सूचना के उपस्थित नही। शेष प्रतिवादी के नोटिस इन्तजार एवं जवाब सरकार हेतु दिनांक 17.01.2018 नियत की गई। 02.11.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/5, 3/1 से 3/3, 8/3 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर आगामी पेशी दिनांक 30.01.2019 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 15.12.2020 को पत्रावली वास्ते जवाब के लिए नियत की जाकर दिनांक 11.02.2021 को जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत की जाकर 28.07.2021 को वादी अभिभाषक द्वारा शपथ–पत्र वादी संख्या 01, 02 पेश किया तथा जिरह वादी अंतिम बहस हेतु दिनांक 05.08.2021 नियत की गई। दिनांक17.08.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की बहस सुनी जाकर वादी संख्या 01, 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के विधिक वारिसान को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, पीसांगन को बंटवारा प्रस्ताव पेश करने के आदेश दिये गये। दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 पेश किया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

दिनांक 29.11.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र से धारा 188 व 53 का अनुतोष समाप्त किया गया। दिनांक 29.11.2021 को वाद पत्र को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 1320/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 से 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही अप्रार्थीगण का वाद डिक्री करने का आदेश दिनांक 17.8.2019 को पारित कर दिया है। जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हुई उक्त जानकारी दिनांक 2.12.2021 को हुई जब प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमी दी की हमारे पक्ष मं फैसला हुआ है जिस पर प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी की तथा जानकारी होने पर दिनांक 4.12.2021 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त की एवं उक्त अपील तैयार करवा कर अविलंब न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस अपील में कथन किया कि रूपसिंह के विधिक वारिसान तथाकथित सजरे के अनुसार रूपसिंह के विधिक वारिसान स्वरूप कंवर पत्नि रूपसिंह, कानसिंह, मनोहर सिंह एवं मान कंवर व धापू कंवर पुत्रगण रूपसिंह थे तथा स्वरूप कंवर पत्नि रूपसिंह का निधन उक्त राजस्व वाद प्रस्तुती के पूर्व ही हो चुका था जैसा कि वादग्रस्त आराजीयात के अनुसार वाद–पत्र में अंकित आराजीयात बात 1/4,1/4 हिस्सा वादीयागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का निहित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या पुराना 352 नया 33 में अंकित आराजीयात बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण संया 1 व 2 को 1/5–1/5 हिस्से का अविधिक रूप से खातेदार/काश्तकार दिनांक 17.8.2021 को घोषित करने में त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजीयात के तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रूपसिंह पुत्र नानूसिंह थे तथा उनके निधन के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात बाबत विरासत का नामांतरकरण मजमे आम में दिनांक 15.5.1989 को जरिए नामांतरकरण संख्या 5 के द्वारा सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से राजस्व कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन जमाबंदी में तस्दीक किया गया था तथा वादीगण द्वारा उक्त नामांतरकरण को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार वादीयागण अपने हक व अधिकारों का त्याग मनोहर सिंह एवं कानसिंह के पक्ष में कर चुकी थी इसके बावजूद वादीयागण द्वारा लगभग 28 वर्ष बाद उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकों कि वादीयागण को प्रस्तुत करने का ही किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजीयात के तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्ताकर रूपसिंह पुत्र नानूसिंह थे तथा उनके निधन के पश्चात स्वरूप कंवर, मनोहर सिंह एवं कानसिंह के नाम वादग्रस्त आराजीयात बाबत नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया था तथा कानसिंह पुत्र रूपसिंह के निधन के पश्चात उनकी विरासत का नामांतरकरण अपीलांटस के नाम तरदीक कर दिया गया तथा उसके पश्चात अपीलांट संख्या 2 व 3 के द्वारा अपीलांट संख्या 1, 4, 5 के पक्ष में जरिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रजिस्टर्ड हक त्यागनामा दिनांक 28.9.2015 को तस्दीक कर दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड हक त्यागनामे के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में नामांतरकरण तस्दीक भी हो चुका था इस प्रकार से वादीगण को उक्त रजिस्टर्ड हक त्यागनामे को बिना सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त कराए बिना तथा उक्त नामांतरकरण को बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त कराए बिना उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। वादीयागण/रेस्पोडेंट संसया 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.9.2017 को दर्ज किया जाकर समस्त प्रतिवदीगण को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.11.2018 को अपीलांटस को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए गए तत्पश्चात अपीलांटस को उक्त राजस्व वाद के बिना सम्यक नोटिस तामील कराए तथा बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए पत्रावली को दिनांक 15.12.2020 को जवाब सरकार में नियत कर अविधिक रूप से दिनांक 17.8.2021 को उक्त राजस्व वाद को डिक्री किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांटस मूलतः नूरियावास के निवासी हैं तथा वर्तमान में मालपुरा एवं जयपुर में निवास कर रहे है जिसका कि वादीयागण को अपीलांटस के हाल निवास की भली भांति जानकरी होने के बावजूद वादीयागण द्वारा अपीलांटस के हाल निवास पर उक्त राजस्व वाद के नोटिस जारी नहीं कर फर्जकारी कर अपीलांटस के गांव के मूल निवास के नोटिस अधीनस्थ न्यायालय से जारी करवा लिए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए तथा उक्त राजस्व वाद बाबत बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए बिना उक्त आदेश दिनांक 17.8.2021 पारित कर दिया। वादीयागण द्वारा उक्त राजस्व वाद मूलतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में डिक्री हेतु प्रस्तुत किया था तथा वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मनोहर सिंह द्वारा आपस में संधि करते हुए बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त आदेश दिनांक 17.8.2021 अपीलांटस के हक व अधिकारों के विरूद्ध पारित करवा लिया। विवादित आराजीयात बाबत प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सख्या 3 द्वारा अपनी माता स्वरूप कंवर के द्वारा उनके जीवनकाल में ही अविधिक रूप से उनके 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्यागनामा अपने पक्ष में करवा लिया जिसका कि विधिक अधिकार मनोहर सिंह को नहीं था तथा उक्त रजिस्टर्ड हक त्यागनामे के आधार पर मनोहर सिंह द्वारा अपनी माता के 1/3 हिस्से की आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवा लिया इस प्रकार से वादीयागण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड हक त्यागनामे एवं नामांतरकरण को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर तथा मनोहर सिंह द्वारा आपस में संधि कारित कर उक्त आदेश दिनांक 17.8.2021 पारित करवा लिया। विवादित आराजीयात बाबत खातेदार/काश्तकार द्वारा विभिन्न बैंकों से रहन रख ऋण लिया गया था जिसका नोट वादग्रस्त आराजयीत की जमाबंदी में स्पष्ट रूप से अंकित यिका गया था इसके बावजूद वादीयागण द्वारा समस्त तथ्यों को छुपाते हुए उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दिनांक 17.8.2021 को आदेश पारित करवा लिया। वादीयागण द्वारा उक्त राजस्व वाद वास्ते खातेदारी उदघोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया था जिसमें कि अपीलांटस को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसार प्रदान किए बिना दिनांक 17.8.2021 को अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया तथा उक्त राजस्व वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का आदेश प्रदान किए जाने के उपरांत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली नियत कर दी गई तथा कुर्रेजात रिपोर्ट आने के पश्चात विधित अपीलांटस को नोटिस जारी किए जाने थे तथा वादीगण को अपीलांटस को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो इस कारण वादीयागण द्वारा दिनांक 24.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया जाकर उक्त राजस्व वाद जिसकी कि डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.8.2021 को पारित की जा चुकी थी जिस बाबत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम को डिलीट किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा दिनांक 29.11.2021 को बिना अपीलांटस को किसी प्रकार के नोटिस जारी किए तथा अपीलांटस को बिना साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति आदेशिका पर अंकित कर वादीयागण के उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। वादीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत कर बिना अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई तथा जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से रेवेन्यु कोर्टस मैन्युअल के नियमों के विरूद्ध तथा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार बिना तनकीवार निर्णय पारित कर आदेशिका पर ही वादीयागण के उक्त राजस्व वाद को दिनांक 17.8.2021 को डिक्री करने का आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 1320/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वादपत्र में वर्णित भूमि कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। ग्राम पंचायत बुधवाडा द्वारा जारी सजरा दिनांक 17.5.2012 के अनुसार प्रतिवादीगण/वादीगण एवं वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रूपसिंह पुत्र नानूसिंह के विधिक वारिसान घोषित किए गए है। प्रतिवादीगण/वादीगण की सहमति के बिना वादीगण संख्या 1व 2 ने नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण/वादीगण के पिता रूपसिंह पुत्र नानूसिंह का फौती विरासतनामा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में राजस्व अधिकारियों की मिली भगती से अंकित करा लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/वादीगण को उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में उनके विधिक हिस्से से वादीणग ने वंचित कर दिया है जबकि प्रतिवादीगण/वादीगण जन्म से उक्त कृषि भूमि में वदीगण संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हिस्से की कानूनन हिस्सेदार हैं। वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में प्रतिवादीगण/वादीगण के पिता का फौती विरासतनामा नामांतरकरण दिनांक 1.1.1990 नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 15.9.1998 के रूप में वर्किंग जमाबंदी में अंकित है। प्रतिवादीगण/वादीगण ने वादीगण संख्या 1 व 2 से वादपत्र में अंकित कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

भूमि में अपने कूननन हिस्से को देने व कानूनन हिस्से के बंटवारे की मांग की तो वादीगण ने प्रतिवादीगण/वादीगण को उक्त कानूनन हिस्सा देने व बंटवारा कनने से मना कर दिया। इस कारण प्रतिवादीगण/वादीगण को उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में अपने हक व अधिकारों के लिए जो कि जन्म से उत्पन्न हुए है को प्राप्त करने के लिए श्रीमान के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा व न्यायिक बंटवारें के लिए उक्त राजस्व वाद पेश करना पड रहा है। वादीगण संख्या 2 प्रतिवादीगण/वादीगण को ग्रामीण परीवेश की महिला समझकर व किसी प्रकार की प्रतिवादीगण/वादीगण कानूनी मदद ना मिलने की उम्मीद में प्रतिवादीगण/वादीगण को उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में प्रत्येक प्रतिवादीगण/वादीगण के 1/4 हिस्सा देने से इंकार कर रहे है एवं उक्त कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण/वादीगण अशिक्षित होने के कारण अबतक यही समझती आ रही थी कि उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण/वादीगण का हक व हिस्सा सुरक्षित है। किंतु प्रतिवादीगण/वादीगण ने जब राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया एवं पढे-लिखे व्यक्ति से पढाया तब प्रतिवादीगण/वादीगण को पता लगा कि उक्त कृषि भूमि में वादीगण 1व 2 ने उनके कानूनन हिस्से को हडपने के लिए राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण/वादीगण का नामं अंकित नहीं करवाया है। सवाईसिंह प्रतिवादीगण/वादीगण के सगे काका है। प्रतिवादीगण/वादीगण के काका सवाईसिंह के वारिस के रूप में राजूसिंह पुत्र सवाईसिंह का नाम अंकित जो कि सही व सत्य हैं। उक्त वाद में खाता संख्या नया 153 व पुराना 146 में राजूसिंह पुत्र सवाईसिंह की जगह राजेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह अंकित है व साथ में राजूसिंह वल्द सुवालाल सिंह भी अंकित है जो कि राजस्व अधिकारियों की त्रुटि की वजह से अंकित कर दिया गया है। वास्तव में इन दोनों नामों की जगह राजूसिंह वल्द सुवालाल सिंह को पक्षकार के रूप में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण/वादीगण को वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खाता सख्या 352 पुराना नया 33 में प्रतिवादीगण/वादीगण को 1/5 व वादीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 के विधिक वारिसान को 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के 1/4 हिस्से तक प्रत्येक को खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तहसीलदार पीसांगन को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रतिवादीगण/वादीगण के नाम घोषणा अनुरूप नामांतरकरण दर्ज करते हुए बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा प्रस्ताव पेश करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में यह अंकन किया गया कि सम्मन नोटिस की प्रोपर तामील नहीं करवाये गये तथा हाल निवास के नोटिस तामील करवाये बिना आदेश पारित किये गये जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकीं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जारी नोटिस दिनांक 22.11.2017 की पुश्त पर यह रिपोर्ट अंकित आई की गई कि अपीलांट ग्राम नूरियावास में निवास नहीं कर जयपुर निवास करते है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वादीगण से अपीलांटस के सही पते के नोटिस लेकर तामील की प्रक्रिया करवानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.11.2018 को गलत रूप से अपीलांटस के नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से तामील करवाने के आदेश दिये जबकि अपीलांटस के गलत पते के नोटिस पूर्व में प्राप्त हो चुके थे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 02.11.2018 के आदेश की पालना में रजिस्टर्ड एडी पेश नहीं कर सीधे ही बिना न्यायालय की अनुमति के अखबार साया भी पूर्व नोटिस पर लिखे पते पर करवा कर अपीलांटस की गलत रूप से अविधिक रूपे से करवायी अपीलांटस की तामीली को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही मानने में कानूनी त्रुटि कारित की गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि यदि साधारण नोटिस में लिखे पते पर पक्षकार निवास नहीं कर रहा है तो रेस्पोडेन्टस वादी से सही पते के नोटिस लेकर शुरू में साधारण नोटिस जारी कर, साधारण नोटिस से तामील नहीं होने पर चस्पादंगी से तामील करवाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, यदि चस्पांदगी से तामील नहीं होता तो नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से जारी करवाने चाहिए थे, यदि रजिस्टर्ड एड़ी से तामील नहीं होते तो तामील की अंतिम प्रक्रिया अपनाते हुए अखबार साया जहॉ निवास करते है वहॉ के निवास के नोटिस अखबार में साया करवाने चाहिए थें। यहॉ यह भी आदेशित करना उचित है कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार के सदस्य है जिनको परिवार के सदस्य के निवास की जानकारी भंलीभाति होती है फिर भी वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने गलत रूप से तामीली की प्रक्रिया करवायी गयी जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत मान कर आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधि के प्रतिकूल है। तामीली की प्रक्रिया करवा कर अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि सभी साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांटस को नोटिस प्राप्त नही होने से उनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना नही हो सकी जिस कारण उनकों अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्राप्त नही हुआ। तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र से धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को डिलीट किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.11.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. को स्वीकार कर वाद पत्र से धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को डिलीट करने के आदेश दिये है, जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि वाद पत्र को संशोधन करने हेतु आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी में प्राधवान किये गये है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यु कोर्टस मैन्युअल के नियमों के विरूद्ध तथा आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के अनुसार बिना तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अतः से अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 1320/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए,जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद का गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner